



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127654

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19377 वर्ष 2026

भरत @ मोनू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सूर्य भान यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार मालवीय, जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य भान यादव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मौर्य और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध सं. 98 वर्ष 2026 अन्तर्गत बी.एन.एस. की धारा 137(2), 87, 64(1), थाना दातागंज, जिला बदायूं मामले में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि बी.एन.एस.एस की धारा 180 और 183

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में विरोधाभास हैं। पीड़िता ने कथित घटना के समय अपनी आयु लगभग 17 वर्ष 5 महीने बताई है। बी.एन.एस.एस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर बरेली चली गई थी। इसके बाद वह बस में सवार होकर दिल्ली चली गई। पीड़िता ने आवेदक को बुलाया और आवेदक और पीड़िता का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद वे दिल्ली में एक किराए के मकान में साथ रहने लगे। वे लगभग 6-7 दिन साथ रहे। आगे यह निवेदन किया गया है कि जब बी.एन.एस.एस की धारा 183 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने आवेदक का नाम नहीं लिया और आगे कहा कि वह 29.03.2026 को दोपहर 12:00 बजे अपनी मर्जी से घर छोड़कर दिल्ली चली गई थी। उसने अपने माता-पिता से विवाद के कारण गुस्से में घर छोड़ा था। वह 6-7 दिन हरिद्वार में रही। उसका अपहरण किसी ने नहीं किया था और न ही किसी ने बलात्कार का कोई अपराध किया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि पीड़िता के बयानों के अवलोकन से आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक 30.04.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध किया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक **भरत @ मोनू**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस.एस के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (i) मामले की सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) दं.प्र.सं. की धारा 313/351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

ए.पी. पांडे

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।